

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 11 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा सरई / 3013

बैतूल दिनांक 24-03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	सरई	7.250	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पाराखाती लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	गुलाब पंजाब संतोष व० शंकर दिमला पिता शंकर पवार सा० देह भूमिस्वामी	82/2	0.508	0.081
2	शांति बे० शंकर मनोज सोनू व० शंकर कमल पिता शंकर चैत्या पैक्या व० दसरया सा० दुनावा भू-स्वामी	84/3	1.619	0.121
3	इनकलाल व० भादू सुदिया पिता भादू गोंड सा. देह भू-स्वामी	90/5	0.777	0.081
4	इनक व० भादू गोंड सा. देह भू-स्वामी	96	2.598	2.598
5	सन्नो बे० संतराम गोंड सा. देह भू-स्वामी	97/5	0.809	0.701
6	अबदुल रहमान गनी अब्दुल नबी व० मुन्सी सा. जमरापानी भू-स्वामी	99	0.053	0.053
7	लुधिया बे० फकिरिया मुन्ना दर्शन परसू व० फकिरिया नान्ही पिता फकिरिया दुर्गा बे० गुलाब राजकुमार व० गुलाब माधुरी कयादू पिता गुलाब पवार सा. मूसाखापा भू-स्वामी	100/1 100/7	0.101 0.041	0.101 0.041

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	रामू लखन जगन व0 बाबूलाल रिट्ठो बे0 बाबूलाल चम्पा परबत पिता बाबूलाल पंवार सा0 मूसाखापा भू-स्वामी	100/6	0.375	0.274
9	साहेबलाल व0 बहया पंवार सा. मूसाखापा भू-स्वामी	100/8	0.650	0.162
10	सुखलाल रामलाल रमजान ओझा व0 बेनी रामकली जैवन्ती सैवन्ती पिता बेनी सा. देह भू-स्वामी	104/1	1.075	1.075
11	रामू लखन जगन व0 बाबूलाल पंवार सा. देह भू-स्वामी	104/4	1.617	0.445
12	देवनाबाई जौजे परसू पवार सा0 देह भूमिस्वामी	104/5	3.238	0.506
13	मैना जौजे धन्नू सा0 देह भूमिस्वामी	104/6	1.214	0.364
14	उन्नी व0 दमडू गोंड सा. देह भू-स्वामी	104/7	1.214	0.202
15	रुजुम पिरनू व0 मुंगसी रुजना बजमा पिता मुंगसी सा0 देह भूमिस्वामी	104/8	1.214	0.243
16	कचरू व0 शिवलाल कलार सा. खल्ला भू-स्वामी	151/1	2.542	0.202
	कुल योग	17	19.645	7.250

1- चूंकि पाराखाती लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के सगय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा !

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 1 | अ-82/वर्ष 17-18/3017

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल को ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सरई तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग